

ड्राफ्ट-3497/Tech/2023

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-20.06.2023

सेवा में

Shri Preetinder Singh Kalra,  
Neori Vikash, Ranchi.

विषय- Vikas Vidyalaya, Neori Vikash, Ranchi स्कूल भवन का अग्नि-सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

आपके द्वारा अललाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में सदरित निर्मित स्कूल भवन के अग्नि-सुरक्षात्मक उपायों की शैतिक जाँच प्रभारी अभिलक्षणलय पदाधिकारी, आर्ट्स हाउस, राँची से कराई गई। उनके ड्राफ्ट-384 दिनांक-19.06.2023 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि -

1. Set-Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखा जावेगा।
2. स्कूल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जावेगा।
3. निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का सकारण सुनिश्चित किया जाय। सकारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लिया जावेगा।
5. अपातकाल की अवस्था के लिए Escape Routes को साथ-साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का Display समुचित स्थानी पर किया जावेगा तथा हर समय उसे सकारित रखा जावेगा।
6. इस बात का खास ध्यान रखा जावेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रदेश अथवा निकास द्वार में न तो हाता लगाया जावेगा न ही बाहर से बाँध किया जावेगा।
7. समय-समय पर Hose Reel Hose एवं Hydrant के पानी को flush-out किये जाने की व्यवस्था की जाय।
8. स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
9. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें स्कूल भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रिल में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
10. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पृष्ठी में सकारित रखा जाय।
11. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय अच्छी तरह सकारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
12. किसी भी प्रकार की असाकधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए प्रकान स्वयं जवाबदेह होंगे।
13. किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुसूचित रह करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिसमें होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु सकारित प्रकान स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का जो डिस्टे किया गया है, उसे निर्धारित रखा जावेगा।
15. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनांक-19.06.2024 तक की तिये मान्य है।

P. S. Kalra  
Principal  
Vikas Vidyalaya  
Neori Vikash  
Ranchi-835217

JAGJEEWAN  
RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM  
DN: cn=JAGJEEWAN RAM, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAG,  
and C=INDIA  
c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAG,  
and C=INDIA  
e=jagjeewan@fire.nic.in, cn=JAGJEEWAN RAM  
Date: 2023.06.21 10:30:44 +05'30'

(जगजीवन राम)   
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी Manager  
झारखण्ड, राँची। VIKAS VIDYALAYA  
SCHOOL CAMPUS  
NEORI, RANCHI-835217